International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 03(I), July - September, 2022, pp. 57-62

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषणात्मक अध्ययन (उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में)

लखन लाल चौकसे*

सार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण की पृष्ठ भूमि, उद्देश्य, प्रमुख बिन्दु, लागू करने के तरीके भविष्य में होने वाले परिणामों इत्यादि पर वैचारिक विश्लेषण– इस शोध पत्र में किया गया है। भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है। अपने उच्च स्तरीय शिक्षा जैसे नालंदा, तक्षशिला आदि के बल पर इसकी तूती पूरे विश्व में बोलती थी। देश विदेश के विधार्थी यहॉ शिक्षा को ग्रहण करने आते थे। शिक्षा स्थल ही वो केन्द्र बिन्दु है, जहॉ से राष्ट् का निर्माण और विनाश दोनों ही सम्भव हो सकते है। आजादी के बाद से ही शिक्षा को ही हर बार परिवर्तन का माध्यम माना जाने लगा है। शिक्षा में हर बार नये प्रयोग कर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता रहा है। जितने प्रयोग इस क्षेत्र में होते है, उतने शायद ही किसी अन्य क्षेत्र मे होते होगें। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा पर अनेक परिवर्तन समय–समय पर किये जाते रहे है, लेकिन फिर भी यह लगता रहा है हर बार कुछ न कुछ छूट रहा है। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस अभाव को पूरा करने का प्रयास किया गया है। 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा भारत की 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' को मंजूरी दी गयी है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' स्वतंत्र भारत की तीसरी व 21वीं सदी की पहली 'शिक्षा नीति' है।

शब्दकोश : *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समावेशी शिक्षा, जी.ई.आर., प्रमुख सिद्धांत, राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, वोकेशनल कोर्स।*

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी देश के लिए सभी प्रकार के (सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, बौद्धिक, व्यावसायिक) परिवर्तन का 'टूल' है। जैसे रुका हुआ पानी अपनी उपयोगिता खो देता है वैसे ही वर्ष 1986 से लागू 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा–नीति 1986 अपनी उपादेयता खो चुकी थी। वर्तमान केन्द्र सरकार ने बदलते परिदृष्य के साथ प्रभावहीन हो रही शिक्षा नीति में बदलाव के लिए वर्ष 2016 से ही नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारियॉ शुरु कर दी थी। वर्ष 2019 में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक व इसरो के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ. के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता मे नौ सदस्यीय समिति गठन की जिसने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 का ड्राफ्ट' कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे आम भारतीय जनता से भी सुझाव आमंत्रित करने हेतु 'पब्लिक डोमेन में जारी किया। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' स्वतंत्र भारत की तीसरी व 21 वीं सदी की पहली 'शिक्षा नीति' है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तदुपरांत शिक्षा का अधिकार 2009, राइट टू एजूकेशन एक्ट 2009–10 में लागू किया गया, जिसके तहत देश के सरकारी स्कूलों में 6.14 वर्ष की आयु समूहों के बच्चों के निःशुल्क स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया एवं निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों की एक चौथाई (1/4) संख्या आर्थिक रुप से कमजोर (EWS) बच्चों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

* शोधार्थी, वणिज्य अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविघालय, उज्जैन, म.प्र.।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की 'प्रथम शिक्षा नीति–1968' में लागू की गयी जो कि शिक्षाविद डॉ.डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित आयोग की अनुसंधाओं के आधार पर आधारित थी। वर्ष 1985 में 'शिक्षा की चुनौतियॉ' दस्तावेज की अनुशंसाओं के आधार पर 1986 में भारत सरकार ने दूसरी 'नई शिक्षा नीति–1986' लागू की, जिसमें सम्पूर्ण देश के लिए 'एक समान शैक्षणिक फ्रेमवर्क' को अपनाया गया था।

प्रमुख बिन्दु– एक नजर में

1. इस हेतु गठित समिति का नाम इसके अध्यक्ष पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. कस्तमरीरंगन के नाम पर 'कस्तूरीरंगन समिति' रखा गया है।
2. समिति का गठन जून 2017 में हुआ,मई 2019 में समिति ने नीति का ड्राफ्ट कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया एवं 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल द्वारा इसे स्वीकृत किया गया।
3. नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक विघार्थियों के प्रवेश का सकल अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) को 100ः करने का लक्ष्य रखा गया है।
4. इस नीति में अब शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) के 6ः हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है, अभी यह 4.43ः हैं।
5. इसमें 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदल कर ' शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है।
6. इसमें ई–पाठयक्रम को बढावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फोरम (NEFT) बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रहीं है।
7. नई शिक्षा नीति में मल्टीपल डिस्प्लिनरी एजुकेशन की बात कही गई है इसका मतलब यह है कि कोई भी छात्र विज्ञान, वाणिज्य के साथ–साथ कला और सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी दसवी–बारहवीं बोर्ड और कॉलेज के ग्रेजुएशन स्तर में चुन सकता है।

साहित्य की समीक्षा

संक्षेप में पिछले अध्ययनों की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो इस अध्ययन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रासंगिक है। इसमें नयी शिक्षा नीति 2020 और विशेष रुप से संबंधित अध्ययनों पर किये गए कार्यों की एक झलक देखने को मिलती हैं।

पीएस ऐथल और शुभ्रज्योत्सना ऐथल के अनुसार उनके शोघ पत्र 'भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में। ''भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता, आकर्षण, सामर्थ्य में सुधार के लिए नवीन नीतियॉ बनाकर और निजी क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा को खोलकर आपूर्ति बढाने के लिए और साथ ही बनाये रखने के लिए सख्त नियंत्रण के साथ इस तरह के उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ रही है। हर उच्च शिक्षा संस्थान में गुणवत्ता फ्री–शिप्स और स्कालॅशिप के साथ योग्यता आधारित प्रवेश को प्रोत्साहित करके, संकाय सदस्यों के रुप में योग्यता और अनुसंधान आधारित निरंतर प्रदर्शन और निकायों को विनियमित करने में योग्यता आधारित सिद्ध नेताओं और प्रौघोगिकी–आधारित के माध्यम से प्रगति की स्व–घोषणा के आधार पर द्विवार्षिक मान्यता के माध्यम से गुणवत्ता की सख्त निगरानी, एनईपी–2020 और 2030 तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने की उम्मीद है। संबद्ध कॉलेजों के वर्तमान नामकरण के साथ सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहु–अनुशासनात्मक स्वायत्त कॉलेजों के रुप में उनके नाम पर डिग्री देने की शक्ति के साथ विस्तार करेंगे या उनके संबद्ध विश्वविघालयों के घटक कॉलेज बन जाएंगे। एक निष्पक्ष एजेन्सी नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन बुनियादी विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और मानविकी के प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराएगी।

अजय कुरियन और सुदीप बी चंद्रमना के शब्दों में, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा पूरी तरह से कई लोगों द्वारा अप्रत्याशित थी। नई शिक्षा नीति 2020 ने जिन बदलावों की सिफारिश की है, वे कुछ ऐसे थे जिन्हे कई शिक्षाविदों ने कभी आते नहीं देखा। यघपि शिक्षा नीति ने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को समान रुप से

प्रभावित किया है, यह लेख मुख्य रुप से नई शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है। यह पत्र नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं को भी रेखांकित करता है और विश्लेषण करता है कि वे मौजूदा शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करते है। नई शिक्षा नीति में रीयल– टाइम मूल्यांकन प्रणाली और परामर्शी निगरानी और समीक्षा ढांचे के लिए आश्वस्त रुप से प्रावधान किया गया हैं। यह शिक्षा प्रणाली को पाठयक्रम मे बदलाव के लिए हर दशक में एक नई शिक्षा नीति की अपेक्षा करने के बजाय, अपने आप में लगातार सुधार करने के लिए सशक्त बनाएगा। यह अपने आप मे एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। नई शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा के लिए एक निर्णायक क्षण है। प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन ही इसे वास्तव में पथप्रदर्शक बना देगा।

उद्देश्य व विजन– समग्रक विकास का लक्ष्य

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा की पहुॅच, समानता, गुणवत्ता युक्त वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष बल दिया गया है।
- इस शिक्षा नीति में 'शिक्षा का अधिकार कानून' (RTE) का दाायरा बढा कर 6 से 14 वर्ष के स्थान पर 3 से 18 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का दायित्व सरकार का हो गया है।
- छात्रों को आवश्यक कौशल एवं ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, टेक्लोलॉजी, अकादमी क्षेत्र और इंडस्ट्री में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए देश को ज्ञान आधारित 'सुपर पॉवर' के रुप में सीापित करना है।
- शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना सम्मिलित है।
- भाषाई बाध्यताओं को दूर करने व दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढावा देने पर बल दिया गया है।

स्कूली शिक्षा में परिवर्तन : नींव मजबूत करने की कवायद

नई शिक्षा नीति–2020 में वर्तमान में,स्कूली शिक्षा में लागू पद्दति 10़2 के शैक्षिक मॉडल मे ंबदलाव किया गया हैं। इसके स्थान पर शैक्षिक पाठयक्रम को 5़3़3़4 की प्रणाली/प्रारुप आधार पर विभाजित करने की बात कहीं गई है।

इसका फॉमेट इस तरह से प्रस्तावित हैः

वर्ष अवधि	चरण	आयु	वक्षा स्तर
5 वर्ष	फाउण्डेशन स्टेज	3 से 6 वर्ष	ऑगनबाडी
		6 से 8 वर्ष	नर्सरी (प्री प्राइमरी)
3 वर्ष	प्राथमिक स्तर	8 से 11 वर्ष	कक्षा 3 से 5
3 वर्ष	माध्यमिक स्तर	11 से 14 वर्ष	कक्षा 6 से 8
4 वर्ष	हाई स्कूल एवं हायर सेकेड्री स्कूल स्तर	14 से 18 वर्ष	कक्षा 9 से 12

- पॉचवी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम के रुप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही
- मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे के शिक्षा के लिए भी प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरु किए जांएगे,इसके लिए इच्छुक छात्रों का छठी कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप करायी जाएगी।
- म्यूजिक, योग, नृत्य, अभिनय कला, हस्तशिल्प आदि को पाठयक्रम में शामिल कर दिया जायेगा।

- 'अर्ली चाइल्ड हुड' पालिसी के तहत पहले सरकारी स्कूलो में प्री स्कूलिंग नहीं होती थी, बच्चा 6 वर्ष की आयु से पढना प्रारम्भ करता था। लेकिन अब 3 वर्ष से ही शिक्षा एउए (Early childhood Care and Education) द्वारा प्रारम्भ होगी, ऑगनबाडी के माध्यम से।
- पहले जहॉ कक्षा 11 वीं कक्षा से विषय चुन सकते थे अब छात्रों की कक्षा 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की सुविधा होगी।
- क्षा 9 से 12 तक की पढाई में किसी विषय के प्रति गहरी समझ तथा बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमता को बढाकर जीवन में बडे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- 10 वी एवं 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर अब वर्ष में दो बार (सेमेस्टर प्रणाली द्वारा) ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉमेंट में परीक्षा आयोजित की जाएगीं
- शिक्षा नीति में मिड–डे मील के साथ–साथ सुबह का नाश्ता देने की भी बात कही गई है।

उच्च शिक्षाः प्रमुख बिदु–युवा शक्ति के विकास का लक्ष्य

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और नेशनल काउसिंल फार टेक्नीकल एजुकेशन (NCTE) को समाप्त कर रेगुलेटरी (नियामक) बॉडी बनाई जाएगी।
- अभी सेट्ल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी औंर स्टैंडअलोन इंस्टिटयूशंस के लिए अलग–अलग नियम है, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होगें।
- देश भर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये 'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद' (HECL) नामक एक एकल निकाय का गठन किया जायेगा।
- **बहु–स्तरीय प्रवेश एवं निकासी** (Multiple Entry & Exit)

वर्तमान में 3 या 4 वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई छात्र किसी कारण वश बीच में पढाई छोड देता है, तो उसे डिग्री न मिलने से इस पडाई का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन अब इसमें निम्न परिवर्तन हैः

  - एक वर्ष की पडाई पर–सटिफिकेट
  - छो वर्ष की पडाई पर– डिप्लोमा
  - तीन या चार वर्ष पर–डिग्री मिल जाएगी।
  - अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोडकर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वांइन कर सकता है और इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है।
  - जो छात्र हायर एजूकेशन में नहीं जाना चाहते उनके लिए अब ग्रेजुएशन डिग्री 4 साल की होगी।
  - पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एक साल के बाद पढाई छोडने का विकल्प रहेगा तथा पॉच साल का संयुक्त ग्रेजुएट –मास्टर कोर्स लाया जाएगा।
  - कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT)– उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एग्जाम होगी परन्तु यह प्रवेश एग्जाम अनिवार्य नहीं है।

- **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिटः** इसमें विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रुप में सुरक्षित रखा जाएगा तथा अलग–अलग संस्थानों में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।
  - देश में शोध और अनुसंधान को बढावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रुप में नेशनल रिसर्च फाउडेशन (NRF) की सीापना की जाएगी।
  - शोध उपाधि के लिए एम.फिल.डिग्री पाठयक्रम समाप्त कर दिया गया है।
  - आगामी वर्षों मे उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड नई सीटें जोडी जायेगी।

- **अंतर्राष्ट्रीयकरण–** भारत के सर्वश्रेष्ठ विघालयों को अपने परिसर अन्य देशों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा साथ ही विश्व के चुनिंदा विश्वविधालयों (शीर्ष 100 में) को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

शिक्षकों से सम्बंधित सुधार

- इस शिक्षा नीति में 'नेशनल मेंटरिंग प्लान लाया जायेगा इससे शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा।
- शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा तथा पदोन्नति भी अब योग्यता (शैक्षणिक प्रशासन व समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन) आधारित होगी।
- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तैयार किया जाएगा।
- प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वह स्वयं व्यावसायिक विकास (पेशे से संबंधित आनुधिक विचार,नवाचार और खुद में सुधार करने) के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष 50 घण्टों का सतत् व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में हिस्सा लें।
- प्रत्येक स्कूल में शिक्षक–छात्रों का अनुपातः 30ः से कम हो तथा सामाजिक आर्थिक रुप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में यह अनुपातः 25ः से कम हो कि व्यवस्था की जायेगी।
- शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों (जटिल प्रशासनिक कार्य, मिड डे मिल) से संबंधित कार्यों में शामिल करने का अनुशंसा की गयी है।
- गुणवत्ता को बढाने देने के लिए शिक्षामित्र, एडाहाक, गेस्ट टीचर जैसी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त कर स्कूली उच्च शिक्षा संस्थानो ंमें स्थायी टीचर की नियुक्ति की जायेगी।

निष्कर्ष

- शिक्षा एवं शिक्षा प्रणाली किसी भी देश के भविष्य निर्धारण का आईना माना जाता है। शिक्षा समाज विकास की 'बैकबोन' (रीढ) का निर्धारण करती हैं।
- वर्तमान में लागू की गयी शिक्षा नीति–2020 वास्तव में केन्द्र सरकार की दूरदर्शिता ,प्रतिबद्धता एवं समाज के प्रति राज्य के दायित्वो के स्पष्ट दृष्टिकोण को परिलक्षित करती है।
- परन्तु यह भी उतना ही सच है कि किसी दस्तावेज का अच्छा बन जाना, उसके समस्त सकारात्मक प्रतिफलों को निश्चित नहीं कर देता है। वास्तव मे धरातल स्तर पर उसे लागू करने के तरीके,समयबद्ध परीक्षण,समर्पण एवं उसमें निहित उद्देश्यों को समझने की क्षमता व दक्षता पर निर्भर करेगा की इसकी उपादेयता सिद्ध हो रही है या नहीं।
- केंन्द्र व राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जब यह शिक्षा नीति को उचित ढंग से लागू करना है तो प्र्याप्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री भी स्थानीय भाषाओ ंमें उपलब्ध करवाना होगी।
- प्राथमिक स्कूलो ंसे लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक के मंहॅगे व एलीट वर्ग के संस्थानों को भी इस शिक्षा नीति के दायरे में लेना होगा।
- निश्चित ही किसी भी नीति या व्यवस्था में समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन,सुधार एवं बदलाव उसके परिणामें को और आर्थिक सार्थक कर देते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
2. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020

3. Puri, Natasha (30 August 2019). A Review of the National Education Policy of the Government of India - The Need for Data and Dynamism in the 21st Century. SSRN.

4. Vedhathiri, Thanikachalam (January 2020), "Critical Assessment of Draft Indian National Education Policy 2019 with Respect to National Institutes of Technical Teachers Training and Research", Journal of Engineering Education, 33

5. https://mgmu.ac.in/wp-content/uploads/NEP-Indias-New-Education-Policy_2020-final.pdf

6. http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ijmer/pdf/volume10/volume10-issue2(5)/33.pdf

7. . Kumar, K. (2005). Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. Indian Educational Review 2. Draft National Education Policy 2019,

8. https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov15596510111.pdf 3. National Education Policy 2020.

9. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/ NEP_Final_English.pdf referred on 10/08/2020

10. 'नई शिक्षा नीतिः पढाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सबमें होंगे ये बडा बदलाव 'आज तक' अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020

11. 'नई शिक्षा नीति, 2020ः प्रमुख पॉइटस एक नजर में – अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020

12. 'नई शिक्षा नीति आत्म निर्भर भारत की दिशा में बढता कदम'।

13. 'नई शिक्षा नीति से कितना बदलेगी शिक्षा व्यवस्था जानिए क्या कहते है जानकार' आज तक अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020

14. 'आइए जाने आखिर देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरुरत क्यों पडी 'दैनिक जागरण' अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020

❖◆❖